


सौजनाराम बनाम मारु व अन्य
संख्या / वर्ष : 11 / 2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/08/20	<p>आज्ञापीत्र के अधिनानुसार भूमि वादग्रस्त का पूर्व में पञ्जाबराज / पञ्जाबराज के पूर्वजों के मध्य पारिवारिक सम्पत्तों के अनुसार विभाजन किया जाकर अमरपुत्र वाराण अतनुत्तार ही मिररर काविद होकर कब्जा वाश अनुत्तार काविद है तथा कब्जा कारत (पचलिल) अनुत्तार ही विभाजन-आधारण है जिसे कुम में मूलवाद काश्चिद्विद ही पहिदा में लभित है तथा लोचियों की गुणावता अनुत्तार ही मूलवाद में प्राथमिक डिमी जाये की जानी है ऐसी स्थिति में वाद बहुता, न्यायवित व अमरपुत्र वाराण के हिसे के हृष्टिगत भूमि वादग्रस्त को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित समझते हैं कुल: न्यायालय हाज के पूर्व कलमि असाई मिपेधच्छा काद्वे में खेञ्चोचन किया जाकर अमरपुत्र कारण को मूलवाद पु केलिम मिस्तरण तक जदि कसपाई मिपेधच्छा से पावय किया जाता है कि वे ग्राम मुंडोला तटकोर काकर जिला जयपुर स्थित भूमि वादग्रस्त का- 19- नं 1275 लापत 1281, 1283, 1284, 1285, 1287 लापत 1290, 1295/1817, 1295/2045, 1297 लक 1302 कुल रकतस जिला 22 कुल रकत 8.61 है. के किली मू भागको</p>	

सौनाबाम्ब वनाम गैर व वन्य

क्र. सं. 11/2020
आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	25/08/22	<p>विद्युत (बैचान) हस्तांतरण कादि ना करें तथा गाँव की अधीनस्थ वनाय शर्तों पर विरासत नामांतरण के सम्बन्ध में निपटारा कादेश प्रभावी नहीं होगा। मिनीय काज डिनाम के 2 कुंआरों के सुनायाम्य प्रभावित फल शुभ्य देकर के नम्बर से कम है। बाद तकाले संलग्न मूलकाप है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कालक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर </p>

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही